


उर । वकील पक्षकारान उपस्थित । पत्रावली
14/12..... 1/12/23

1/12/23 को पेश हो ।


उपखण्ड अधिकारी

18/12/24 पत्रावली पेश हुई । वकील वादी/प्रार्थी उपस्थित नहीं ।
न्यायालय का समय पूर्ण होने तक बार-बार आवाज लगाई
गई । बार-बार आवाज लगाने के बाद भी वकील वादी/प्रार्थी
उपस्थित नहीं । अतः प्रकरण को इसी स्तर पर अदम हाजरी
अदम पैरवी में खरिज किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार
होकर नम्बर से कम हो व दाखील दफ्तर हो ।


उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवादी